रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072026-274288
CG-DL-E-08072026-274288

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 542]	नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2026/आषाढ 17, 1948
No. 542]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2026/ASHADHA 17, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2026

सं. 25/2026-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 600(अ).— केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सा.का.नि. सं. 781(अ), तारीख 24 अक्तूबर, 2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 45/2025-सीमाशुल्क, तारीख 24 अक्तूबर, 2025, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी I में, क्रम सं. 296 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"296क.	3919 90 90 या 8529 90 90	निम्नलिखित माल, जो ऑटोमोटिव, चिकित्सा या औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए शीर्ष 8524 के अधीन आने वाली डिस्प्ले असेम्बलियों के विनिर्माण में उपयोग के लिए है, अर्थात्:- (i) सेल; (ii) फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट असेम्बली (एफपीसीए); (iii) बैकलाइट यूनिट; (iv) फ्रेम; (v) एनिसोट्रॉपिक कंडक्टिव फिल्म (एसीएफ) । **स्पष्टीकरण.-** इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, ऑटोमोटिव, चिकित्सा या औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए डिस्प्ले असेम्बलियों में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे, अर्थात्:- (i) सेलुलर मोबाइल फोन या कलाई में पहने जाने वाले उपकरणों (आमतौर पर स्मार्ट वॉच के नाम से जाना जाता है) की डिस्प्ले असेम्बली; (ii) स्मार्ट मीटरों के लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) या एलसीडी के लिए बैक लाइट; (iii) एलसीडी और लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) टीवी पैनल; (iv) इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी) मॉड्यूल: **परंतु** इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।	शून्य	-	3"।

[फा. सं. 190354/81/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना सं. 45/2025-सीमाशुल्क, तारीख 24 अक्तूबर, 2025, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 781(अ), तारीख 24 अक्तूबर, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. सं. 358(अ), तारीख 12 मई, 2026 द्वारा अधिसूचना सं. 15/2026-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 2026 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2026

No. 25/2026-Customs

G.S.R. 600(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 45/2025-Customs, dated the 24th October, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 781(E), dated the 24th October, 2025, namely: -

In the said notification, in TABLE I, after S. No. 296 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"296A.	3919 90 90 or 8529 90 90	The following goods for use in the manufacture of display assemblies (falling under heading 8524) for automotive, medical or industrial applications, namely: - (i) Cell; (ii) Flexible Printed Circuit Assembly (FPCA); (iii) Backlight Unit; (iv) Frame; (v) Anisotropic Conductive Film (ACF). ***Explanation*. -** For the purposes of this entry, display assemblies for automotive, medical or industrial applications shall not include, - (i) Display assembly of cellular mobile phones or wrist wearable devices (commonly known as smart watches); (ii) Liquid Crystal Display (LCD) or Back light for LCD of smart meters; (iii) LCD and Light Emitting Diode (LED) TV panels; (iv) Interactive Flat Panel Display (IFPD) Module: **Provided** that nothing contained in this S. No. shall have effect after 31st March, 2029	Nil	-	3".

[F. No. 190354/81/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: -The principal notification No. 45/2025-Customs, dated the 24th October, 2025, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 781(E), dated the 24th October, 2025, and was last amended *vide* notification No. 15/2026-Customs, dated the 12th May, 2026 *vide* number G.S.R. 358(E), dated the 12th May, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA